।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 3462 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जनवरी 11 /2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषयः– जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भः– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी की पत्र सं0 143/12–1 दिनांक 03.01.2023.

महोदय,

वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पायी गयी कमियों गयी निम्न कमियो के निराकरण हेतु प्रस्ताव वापस किया गया है:–

1– प्रस्ताव में प्रपत्र एस0ओ0पी0 के अनुसार नहीं दिये गये है।

2– प्रस्ताव में 0–10 व्यास वर्ग के प्रभावित होने वाले वृक्षो की संख्या शून्य अंकित की गई है उक्त के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण करवाते हुए 0–10 व्यास वर्ग के वृक्षो की संख्या अंकित की जाय।

3– प्रस्ताव में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र में पत्रांक अंकित नहीं है।

4– प्रस्ताव में तुलनात्मक विवरण एस0ओ0पी0 प्रमाण पत्र में पत्रांक अंकित नही है।

5– प्रस्ताव में संलग्न वन पंचायत एवं सिविल भूमि के खसरे की नकल में भूमि की श्रेणी अंकित की जाय।

6– प्रस्ताव में संलग्न मक डिस्पोजल प्लान के name of project में 48 मी0 Bridge का उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करे।

7– प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षो की सूची में नाप भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षो की सं0 अंकित नही की गई है।

8– पार्ट I के Additional information के क्र0सं0 27 में एन0पी0वी0 का प्रमाण पत्र पुरानी दरो पर अपलोड की गई है।

अतः उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की पांच प्रतियां इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्त कमियों का निराकरण उपरान्त प्रस्ताव की चार कलर प्रति एवं 1 प्रति मूल हार्ड प्रति एवं उक्त आपत्तियो को ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट I में अपलोड करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्नः– प्रस्ताव की पांच प्रतियां।

भवदीय,

Skumar

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 3462 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ को उपरोक्तानुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त बिन्दु सं0 2 व बिन्दु सं0 07 में वृक्षो से सम्बन्धित सूचना हेतु प्रस्तावक विभाग से सम्पर्क स्थापित करते हुए संयुक्त निरीक्षण कर वृक्षो से सम्बन्धित सूचना प्रस्तावक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

Skumar

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner